संख्याः 173 /18-1-2010-25(116)/2002

प्रेषक,

पी0के0 सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में ,

निदेशक उद्योग,
उ0प्र0,कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः23 फरवरी, 2010

विषयः- उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू0 6500-10500 (संशोधित 9300-34800 पे-बैण्ड रू0 4200) के अस्थायी पद की निरन्तरता

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-7563/3 सी/का0/वरि0प्रशा0 अधि0/2009-10 दिनांक 18 जनवरी, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू0 6500-10500 (संशोधित 9300-34800 पे-बैण्ड रू0 4200) के अस्थायी पद की निरन्तरता की स्वीकृति शासनादेश संख्या- 615/18-1-2007- 25(116) /2002 दिनांक 23 अप्रैल, 2007 द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2008 एवं शासनादेश संख्या-71/18-1-2008-25(116) /2002 दिनांक 12 मार्च, 2008 तथा शासनादेश संख्या-145/18-1-2009-25(116) /2002 दिनांक 27-2-2009 द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2010 तक के लिए निर्गत की गयी थी। तद्नुक्रम में ही उक्त पद की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च,2010 से 28 फरवरी, 2011 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आवश्यकता न रहने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त पद की निरन्तरता समाप्त की जा सकती है।

2- उपरोक्तानुसार होने वाले व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष-2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001- निदेशन तथा प्रशासन-03 मुख्यालय'' की सुसंगत मानक मदों में व्यवस्थित धनराशियों से आवश्यकतानुसार वहन किया जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98- 24(8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रतिनिहित अधिकार के तहत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

----2/-

संख्याः 173 (1)/18-1-2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किए हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त(व्ययनियंत्रण)अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/वित्त संसाधन(सामान्य) अनुभाग/वित्त(लेखा) अनुभाग-2 ।
4- कार्मिक अनुभाग-3 ।
5- लघु उद्योग अनुभाग-3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
उप सचिव।